अपने अधिकार जानें

मानव अधिकार एवं बाल मजदूरी

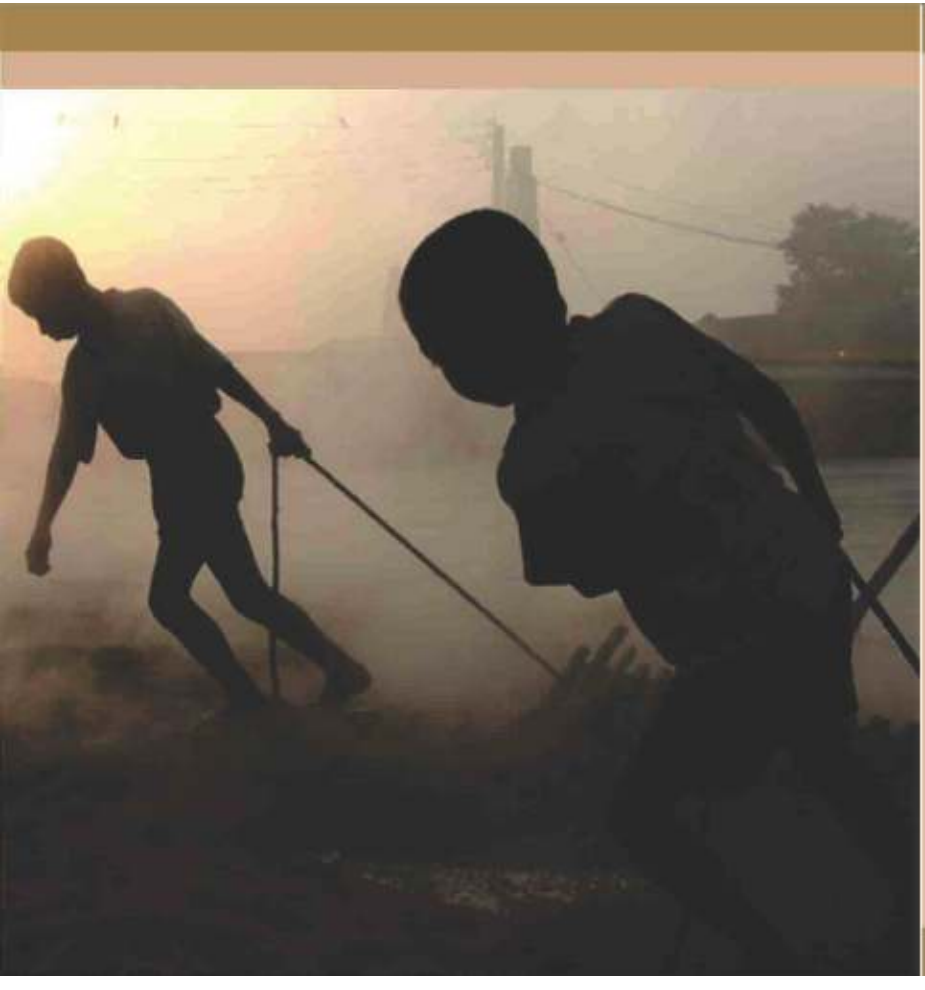

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग

मानव अधिकार एवं बाल मजदूरी

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
फरीदकोट हाउस, कॉपरनिक्स मार्ग,
नई दिल्ली–110001

अपने अधिकार जानें श्रृंखला

मानव अधिकार एवं बाल मजदूरी

इस प्रकाशन का आशय, मूल मानव अधिकारों को बेहतर रूप से समझने में पाठकों की सहायता करना है।

© 2013 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, भारत

प्रकाशक : राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, फरीदकोट हाउस, कॉपरनिक्स मार्ग,
नई दिल्ली–110001

प्रिंटर्स : डॉलफिन प्रिंटों–ग्राफिक्स
011–23593541 / 42
www.dolphinprintographics.com

अनुसूचिका

		पृष्ठ सं0
1.	परिभाषा	1
2.	बच्चों के अधिकार	1
3.	भारत में बाल मजदूरी की विकरालता	2
4.	बाल–मजदूरी का राज्यवार वितरण	2
5.	भारत में बाल मजदूरी का विस्तार	3
6.	अर्थव्यवस्था के वे क्षेत्र जहां बच्चे कार्यरत् हैं	8
7.	संवैधानिक एवं विधिक सुरक्षोपाय	10
8.	बाल मजदूरी (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं	13
9.	इंडो–यूएसडीओएल (इंदस परियोजना)	17
10.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका	19
11.	बालश्रम के उन्मूलन और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के बीच आपसी संबंध	20

बाल मजदूरी

बच्चों को एक ऐसे परिवेश में बड़े होने की जरूरत है जिसमें वे एक स्वतंत्र एवं गरिमापूर्ण जीवन जीने योग्य बन सकें। उन्हें शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसर दिए जाने चाहिए ताकि वे बड़े होकर जिम्मेवार एवं जवाबदेह नागरिक बन सकें। दुर्भाग्यवश बच्चों की एक बड़ी आबादी अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित है। वे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, खासकर असंगठित क्षेत्र में काम करते हुए पाए जाते हैं। उनमें से कुछ को कैद रखा जाता है तथा मारा–पीटा जाता है, दास बना कर रखा जाता है या निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करने के गारंटित मूलभूत अधिकार से वंचित रखा जाता है जिससे बाल मजदूरी मानव अधिकार तथा विकास का मुद्दा बन जाता है।

परिभाषा

- बच्चों के अधिकारों संबंधी अभिसमय के अनुच्छेद I में किसी **बच्चे** को 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के रूप में परिभाषित किया गया है।
- 1973 का अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय सं0 138 **बाल मजदूरी** को 15 वर्ष से कम उम्र के किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी आर्थिक गतिविधि का उल्लेख करता है बशर्ते 15 वर्ष अनिवार्य स्कूल की पढ़ाई पूरी करने की उम्र से कम न हो।
- **बाल मजदूरी** (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार, 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम में नहीं लगाया जाना चाहिए अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में नियोक्त नहीं किया जाना चाहिए।

बच्चों के अधिकार

बच्चों के अधिकारों संबंधी अभिसमय पर आधारित

- प्रत्येक बच्चे को जीने का सहज अधिकार प्राप्त है
- हानिकर प्रभावों, दुर्व्यवहार तथा शोषण से सुरक्षा; तथा पारिवारिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जीवन में पूर्णरुपेण भागीदारी करना
- बच्चे के अस्तित्व एवं विकास को यथासंभव अधिक–से–अधिक सुनिश्चित करना।
- बच्चे के अभिभावक, कानूनी संरक्षक अथवा परिवार के सदस्यों की हैसियत, गतिविधि, अभिव्यक्त मत अथवा विश्वास के आधार पर सभी प्रकार के भेदभाव अथवा दंड से सुरक्षा

- बच्चों से संबंधित सभी कार्यों चाहे वह सार्वजनिक अथवा निजी समाज कल्याण संस्थानों, अदालतों, प्रशासनिक प्राधिकरणों अथवा वैधानिक निकायों द्वारा किया जाता हो, में बच्चे के सर्वोत्तम हित को सर्वप्रथम ध्यान में रखा जाएगा।
- जन्म के तुरंत पश्चात् बच्चे का पंजीकरण किया जाएगा तथा जन्म से उन्हें एक नाम पाने का अधिकार होगा, राष्ट्रीयता हासिल करने तथा यथासंभव अपने माता–पिता के नाम से पहचाने जाने तथा उनके द्वारा देखभाल का अधिकार होगा।
- लड़का या लड़की के माताओं–पिताओं, कानूनी संरक्षकों अथवा कोई अन्य व्यक्ति जो कानूनी तौर पर उसके प्रति जवाबदेह हो, के अधिकारों एवं कर्त्तव्यों को ध्यान में रखते हुए उनकी भलाई के लिए आवश्यक सुरक्षा एवं देखभाल सुनिश्चित करना तथा इस उद्देश्य हेतु सभी उपयुक्त वैधानिक एवं प्रशासनिक उपाय करेंगे।

भारत में बाल मजदूरी की विकरालता

विश्व में कामगार बच्चों की सर्वाधिक संख्या भारत में है। उन्हें काम से हटाना तथा उनका पुनर्वास सुनिश्चित करना देश के सामने मुख्य चुनौती है। संपूर्ण कार्य शक्ति में से कामगार बच्चों का अनुपात यद्यपि कई अन्य विकसित देशों की तुलना में भारत में कम है। 2001 की जनगणना के अनुसार, 79.7 मिलियन बच्चे न तो स्कूल जाते थे न ही काम पर लगे थे तथा वे "कहीं नहीं वाले बच्चे" की श्रेणी में आते थे। यह आंकड़ा 1991 की जनगणना के मुकाबले काफी अधिक था जिसमें 5–14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों की कुल संख्या 203.3 मिलियन थी, जिसमें से 11.28 मिलियन बच्चे बाल श्रमिक थे (6.18 मिलियन लड़के तथा 5.10 मिलियन लड़कियाँ)।

6–14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चे, जिन्हें वास्तव में स्कूल में होना चाहिए किन्तु वे स्कूल से बाहर हैं, वास्तविक अथवा संभावित बाल श्रमिक माने जाते हैं। भारत में बाल मजदूरी एक ग्रामीण घटना है न कि शहरी। कामगार बच्चों में से 90.87 प्रतिशत बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में पाए गए तथा केवल 9.13 प्रतिशत बच्चे शहरी क्षेत्रों में पाए गए।

बाल–मजदूरी का राज्यवार वितरण :

विभिन्न राज्यों में बाल मजदूरों का वितरण एक निश्चित सह संबंध दर्शाता है। उन राज्यों में जिसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की आबादी अधिक है, वहां बाल मजदूरी का विस्तार अधिक है। परिणामस्वरूप, बाल मजदूरी की अधिक घटना के साथ स्कूल छोड़ने की दर भी अधिक हो जाती है।

भारत में बाल मजदूरी का विस्तार

	राज्य/केंद्र शासित राज्यों के नाम	1971	1981	1991	2001****
1	आंध्र प्रदेश	1627492	1951312	1661940	1363339
2	असम'	239349	**	327598	351416
3	बिहार	1059359	1101764	942245	1117500
4	गुजरात	518061	166913	523585	485530
5	हरियाणा	137826	194189	109691	253491
6	हिमाचल प्रदेश	71384	99624	56438	107774
7	जम्मू एवं कश्मीर	70489	258437	**	175630
8	कर्नाटक	808719	1131530	976247	822615
9	केरल	111801	92854	34800	26156
10	मध्य प्रदेश	1112319	1698597	1352563	1065259
11	महाराष्ट्र	988357	1557756	1068427	764075
12	छतीसगढ़	–	–	–	364572
13	मणीपुर	16380	20217	16493	28836
14	मेघालय	30440	44916	34633	53940
15	झारखण्ड	–	–	–	407200
16	उत्तराखण्ड	–	–	–	70183
17	नागालैंड	13726	16235	16467	45874
18	ओडिशा	492477	702293	452394	377594
19	पंजाब	232774	216939	142868	177268

20	राजस्थान	587389	819605	774199	1262570
21	सिक्किम	15661	8561	5598	16457
22	तमिलनाडु	713305	975055	578889	418801
23	त्रिपुरा	17490	24204	16478	21756
24	उत्तर प्रदेश	1326726	1434675	1410086	1927997
25	पश्चिम बंगाल	511443	605263	711691	857087
26	अंडमान एवं निकोबार द्वीप	572	1309	1265	1960
27	अरुणाचल प्रदेश	17925	17950	12395	18482
28	चंडीगढ़	1086	1986	1870	3779
29	दादर एवं नागर हवेली	3102	3615	4416	4274
30	दिल्ली	17120	25717	27351	41899
31	दमन एवं दीप	7391	9378	941	729
32	गोवा			4656	4138
33	लक्ष्यद्वीप	97	56	34	27
34	मिजोरम	***	6314	16411	26265
35	पाण्डुचेरी	3725	3606	2680	1904
	कुल	**10753985**	**13640870**	**11285349**	**12666377**

टिप्पणी :– * 1971 की असम की जनगणना के आंकड़ें में मिजोरम के आंकड़े शामिल हैं।
** जनगणना नहीं की जा सकी।
*** मिजोरम के संबंध में 1971 की जनगणना के आंकड़े असम में शामिल थे।
**** हाशिए पर रहने वाले मजदूर भी शामिल हैं।

स्रोत : http://labour.nic.in/cwl/childLabour.htm

बाल मजदूरी की घटना के लिए जिम्मेवार कारक :

अभिभावकों की सोच, नियोक्ताओं की सोच तथा सिविल समाज की समझ बाल मजदूरी की उत्पत्ति तथा उसके जारी रहने के लिए जिम्मेवार हैं।

अभिभावकों की सोच

- अभिभावक शिक्षा को सामान्यतः रोजगार के लिए गारंटी के तौर पर देखते हैं।
- उनका यह सोचना है कि स्कूल में वर्षों व्यतीत करने से कार्य–स्थल पर कुछ घंटे काम करना बेहतर है जहां स्कूलों का पाठयक्रम, पठन सामग्री तथा मूल पाठ–विषयक समाग्री जीवन की दैनिक आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं होती तथा जहां सिखाने और सीखने की प्रक्रिया नीरस, उबाऊ, अरुचिकर तथा अप्रासंगिक है।
- उनका यह मानना है कि कम आमदनी वाले गरीब परिवार के लिए बच्चे आय कमाने की प्रक्रिया में सहायक हो सकते हैं।
- एक–पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कौशल हस्तांतरित करने के आधार पर वे बाल मजदूरी की वकालत करते हैं।
- उन्हें यह आशंका रहती है कि शिक्षित एवं बेरोजगार बच्चे उनके लिए एक भार बन जाएंगे।

नियोक्ताओं की सोच

- नियोक्ता कम मजदूरी के लिए काम करने वाले प्रत्येक कामगार बच्चे को मजदूर मानते हैं जिससे आसानी से अपनी बात मनवाई जा सकती है, जो नियोक्ता को किसी ट्रेड विवाद में नहीं घसीटता, जिसकी अंगुलियाँ फुर्ती से काम करती हैं तथा इसलिए वह किसी व्यस्क मजदूर से ज्यादा उत्पादन कर सकता है।
- वे निम्नलिखित आधार पर बच्चों की शिक्षा को हतोत्साहित करते हैं :–
- एक बार शिक्षित होने पर बच्चे अपने अधिकारों पर जोर देना शुरू करेंगे;
- वे किसी के अधीन रहने से इंकार करेंगे;
- अशिक्षित आम जनता की शिक्षा से मजदूर संबंधों में गिरावट आएगी;
- इससे बाल श्रमिक की आसान आपूर्ति की प्रथा पर रोक लग जाएगी;
- कामगार बच्चों की स्वयं की समझः

- वे अपने काम को दक्षता हासिल करने के लिए प्रशिक्षण के रूप में देखते हैं।
- वे अपने काम को उच्च मजदूरी वाले बेहतर रोजगार पाने के लिए एक अनुभव के रूप में भी देखते हैं।
- वे मानते हैं कि शैक्षणिक पाठ्यक्रम रोजगार परक नहीं है; इससे अच्छे वेतन वाले रोजगार की संभावना में कोई मदद नहीं मिलती।
- बच्चों को स्कूल भेजने का अर्थ है 5 से 7 वर्ष तक परिवार पर उनकी निर्भरता।
- बहुत से बच्चे इस निर्भरता को पंसद नहीं करते।
- वे अपने रोजगार को छोटे भाई–बहनों की मदद करने तथा उनका भरण–पोषण करने का जरिया मानते हैं।

सिविल समाज की सोच

- सिविल सोसायटी कुल मिलाकर बाल मजदूरी के उन्मूलन के मुद्दे के प्रति उदासीन है।
- सिविल समाज का एक वर्ग यह मानता है कि बाल मजदूरी अपने आप में बुरा नहीं है; शोषणपूर्ण बाल मजदूरी आपत्तिजनक है।
- वे साधारण तथा अहानिकर व्यवसायों में एक प्रकार से बाल मजदूरी को बर्दाश्त करते हैं।
- वे केवल जोखिमपूर्ण व्यवसाओं तथा प्रक्रियाओं में बाल मजदूरी के निषेध की वकालत करते हैं तथा शेष में बच्चों को नियोक्त करने पर अंकुश लगाने को तरजीह देते हैं
- वे बाल मजदूरी के उन्मूलन तथा 6–14 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के बीच अनिवार्य संबंध को नहीं समझ पाते।

इस प्रकार की सोच को एक–एक कर बदलने की जरूरत है।

सर्वप्रथम, अभिभावकों की सोच :

- बच्चे वस्तुतः व्यस्कों की अपेक्षा कहीं ज्यादा काम करते हैं (महाराष्ट्र के ठाणे जिले में ईंट भट्ठियों में बच्चों को नियोक्त करने से संबंधित यूनीसेफ के अध्ययन में इस बात की पुष्टि हुई है कि बच्चे 12 से 16 घंटे काम करते हैं) किन्तु बदले में उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है;

- केंद्रीय न्यूनतम मजदूरी नियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार, बच्चों को वयस्कों के कार्य घंटे का केवल 50 प्रतिशत काम करना अपेक्षित है जबकि वे किसी व्यस्क को मिलने वाली मजदूरी का केवल 50 प्रतिशत प्राप्त करने के हकदार हैं।
- यह असंगत भेदभाव है जिसे आश्वासन के बावजूद दूर नहीं किया गया है।

  – इसलिए आय में बढ़ोतरी का सिद्धान्त एक भ्रांति है;
- इसी प्रकार, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कौशल हस्तांतरण का सिद्धान्त भी एक मिथक है। एक कारपेन्टर (बढ़ई) का बेटा बढ़ई ही बनेगा ऐसा नहीं है। लोहारों के बच्चों के भाग्य में लोहार बनना ही नहीं लिखा होता। ऐसा कहकर हम केवल सामाजिक श्रम के जाति आधारित वर्गीकरण को बढ़ावा देंगे।

दूसरा, नियोक्ताओं की सोच :

- बच्चे व्यस्क नहीं होते तथा उन्हें किसी ट्रेड यूनियन का सदस्य होने की जरूरत नहीं होती;
- इसलिए उनका नियोक्ताओं को ट्रेड विवादों में घसीटने का प्रश्न नहीं उठता;
- कहीं भी निर्णायक रूप से यह प्रमाणित नहीं है कि बच्चे व्यस्कों से अधिक उत्पादन करते हैं क्योंकि उनकी अंगुलियाँ चुस्त होती हैं।
- चुस्त अंगुलियाँ पढ़ने, लिखने, गणन करने, चित्रकारी करने, मूर्ति बनाने, कार्टून बनाने के लिए होती हैं न कि दरी एवं कारपेट बुनने के लिए;
- सही शिक्षा नम्रता देती है; यह सीखने वाले को बेहतर, बुद्धिमान तथा महान इंसान बनाती है।
- सही शिक्षा सीखने वाले को महत्वपूर्ण एवं गैर–महत्वपूर्ण, तत्काल एवं दूर, आवश्यक एवं अनावश्यक के बीच अंतर करने योग्य बनाता है; यह उन्हें गैर अनुशासित नहीं बनाता है।
- यदि बच्चों से काम करने से होने वाले अस्थाई फायदे तथा इन बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं संपूर्ण विकास को होने वाले नुकसान का एक तुलन पत्र बनाया जाए।

लाभ हानियां

शून्य – शिक्षा से वंचन

– बचपन खोना

- जल्द बुढ़ापा
- विकास अवरूद्ध होना
- थकान
- उत्पादक शक्ति में कमी
- दीर्घायु में कमी
- दृष्टि में कमी
- सुनने में कमी
- संवेदी नसों में कमजोरी
- बच्चे बचपन पार करेंगे तथा किशोरावस्था में प्रवेश करेंगे वैसे–वैसे उनमें जीवन शक्ति की कमी होती जाएगी।

बाल मजदूरी के प्रकार

बच्चे संलिप्त हैं :–

- असंगठित एवं अनौपचारिक दोनों क्षेत्रों में मजदूरों के रूप में, जो कानून के क्षेत्राधिकार के भीतर नहीं आते।
- गांव से शहरी क्षेत्रों में प्रवास करने वाले प्रवासी मजदूरों के रूप में (प्रवासी माता–पिता के साथ होने अथवा अन्य कारण से)
- माता–पिता अथवा संरक्षकों द्वारा ऋण अथवा भुगतान के बदले में नियोक्ता के पास बंधुआ मजदूर के रूप में रेहन रखना

अर्थव्यवस्था के वे क्षेत्र जहां बच्चे कार्य करते हैं

1. उत्पादन क्षेत्र

विभिन्न घरेलू–आधारित उद्योगों की विभिन्न उत्पादन प्रक्रियाओं में बच्चे कार्यरत हैं। वे बहुधा अमानवीय दशाओं तथा शोषण करने वाली दशाओं में कार्य करते हैं। इनमें से कुछ उद्योग इस प्रकार हैं :–

- पीतल की वस्तुएं बनाने वाले
- ताले
- माचिस और पटाखे बनाने वाले

- हीरा काटने
- रत्न काटने एवं पॉलिश करने
- शीशा तथा चूड़ियाँ बनाने वाले उद्योग
- गलीचे बनाना
- पत्थर की खदानें
- ईंट भट्टे
- रेशम उत्पादन–सिल्क उद्योग
- बीड़ी बनाना
- मिट्टी के बर्तन बनाने वाली इकाइयां
- चाकू बनाने वाली इकाइयां
- स्लेट बनाने वाली इकाइयां
- कपड़ा (सूती एवं रेशमी दोनों), बुनाई, छपाई, कढ़ाई तथा ज़री बनाने में
- चमड़ा उतरना एवं चर्म शोधन इकाइयां
- 11 राज्यों में बीड़ियों की रोलिंग, लेबलिंग तथा पैक करने में
- पूरे देश में भवन एवं निर्माण कार्यों में
- पत्थर की खदानों में
- खेल–कूद का सामान बनाने वाली इकाइयां
- पूरे देश में मोटर गाड़ियों की मरम्मत करने वाली वर्कशाप में।

2. कृषि – क्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे परिवार के हिस्से के श्रमिक के रूप में अथवा व्यक्तिगत मजदूर के रूप में कृषि अथवा इससे संबंधित व्यवसायों में कार्यरत् हैं।

3. सेवा क्षेत्र

सेवा क्षेत्र में बच्चे इनके रूप में कार्यरत हैं :–

- स्व–नियुक्त मजदूर

- अदृश्य मजदूर
- वेतन–आधारित रोजगार

बच्चों के स्वास्थ्य पर बाल मजदूरी के दुष्प्रभाव

बच्चे बहुधा खतरनाक एवं अस्वस्थ दशाओं में बहुत देर तक कार्य करते हैं तथा उन्हें लंबे समय तक शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्षति पहुंचती है।

उनमें निम्नलिखित समस्याएँ हो सकती हैं –

- श्वसन संबंधी समस्याएं जैसे अस्थामा, तपेदिक
- सामान्य कमजोरी, विकास अवरूद्ध होना, शरीर एवं जोड़ों में दर्द
- दृष्टि में कमी तथा आंखों की अन्य समस्याएं जैसे पानी आना, खुलजी होना तथा आंखे लाल होना
- भूख में कमी
- ट्यूमर एवं जलन
- करघों में काम करने के कारण अशक्तता
- बुढ़े होने पर आर्थराइटिस होने का खतरा
- मानसिक अशक्तता

4. बाल मजदूरी के कुछ अन्य असहनीय प्रकार हैं जैसे :–

- दासता के सभी प्रकार
- दासता के समान प्रथाएं (बच्चों की खरीद–फरोख्त एवं अवैध व्यापार, ऋण अनुबंधित कृषि दासता, जबरन/अनिवार्य मजदूरी)
- बाल यौन–दुराचार
- बाल अश्लील साहित्य
- बाल वेश्यावृत्ति
- बाल नशीली दवाओं का कारोबार

संवैधानिक एवं विधिक सुरक्षोपाय

1. संवैधानिक उपबंध

भारत के संविधान निर्माताओं का यह मानना था कि बच्चे समाज का सबसे कमजोर वर्ग होते है इसलिए उनका आर्थिक रूप से शोषण किए जाने का अत्यधिक खतरा होता है। आर्थिक शोषण से बच्चों की रक्षा करने के उद्देश्य से संविधान में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं :–

(1) मौलिक अधिकार

अनुच्छेद 21 ए

शिक्षा का अधिकार

"राज्य अवश्य ही कानून बनाकर 6 वर्ष से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा।"

निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु बच्चों का अधिकार, अधिनियम, 2009 संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया था, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के प्रावधान की रूपात्मकता को व्याख्यायित करता है। इस अधिनियम को 27.08.09 को राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त हो गई तथा दिनांक 01.04.2010 से इसे लागू किया गया।

अनुच्छे 23 (1) :

मनुष्यों में अवैध व्यापार एवं जबरन मजदूरी का निषेध

"मनुष्यों में अवैध व्यापार एवं 'बेगार' तथा जबरन मजदूरी के इसी प्रकार के अन्य स्वरूपों का निषेध करता है तथा इस उपबंध का उल्लंघन करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध होगा।"

अनुच्छेद 24 :–

फैक्टरियों आदि में बच्चों को काम पर लगाए जाने का निषेध

"14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी फैक्टरी अथवा खदान में अथवा किसी अन्य जोखिम भरे रोजगार में कार्य करने के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।"

(II) निदेशक सिद्धांत

अनुच्छेद 39 :

राज्य द्वारा अपनाई जाने वाली नीति के अनिवार्य सिद्धांत

राज्य विशेष रूप से निम्न लक्ष्य सुनिश्चित करने की दिशा में अपनी नीति बनाएगा।

"....."

(ड.) कि मजदूरों, पुरुषों एवं महिलाओं तथा कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य तथा शक्ति का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकताओं से मजबूर होकर नागरिक ऐसे व्यवसाओं में प्रवेश करने के लिए विवश न हों जो उनकी उम्र एवं शक्ति के अनुकूल नहीं हो।

(च) कि बच्चों को स्वस्थ तरीके से तथा स्वतंत्र दशाओं में गरिमा के साथ विकास के लिए अवसर एवं सुविधाएं दी जाएं तथा शोषण एवं नैतिक तथा भौतिक उपभोग से बचपन एवं युवावस्था की रक्षा की जाए।

अनुच्छेद 45 :

बचपन के शुरूआती वर्षों में बच्चों की देखरेख तथा 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान

"बचपन के शुरूआती वर्षों में बच्चों की देखरेख एवं 6 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु राज्य अवश्य प्रयत्न करेंगा।"

बच्चों के प्रति माता–पिता/अभिभावकों का दायित्व

मौलिक दायित्वों संबंधी अनुच्छेद 51 ए (के) उल्लेख करता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक, जो माता–पिता अथवा अभिभावक हैं, का दायित्व है कि वह 6 से 14 वर्ष की आयु के अपने बच्चे अथवा जैसा भी हो, को शिक्षा के लिए अवसर प्रदान करे।

2. कानून

संवैधानिक उपबंधों एवं राज्य नीति के निदेशात्मक सिद्वांतों के आधार पर समय–समय पर अनेक कानून बनाए गए हैं। इस प्रकार के कानूनों की सूची निम्नलिखित है, जिनका लक्ष्य जोखिम भरे उद्योगों से बाल मजदूरी का उन्मूलन तथा अन्य गैर–जोखिम भरे व्यवसायों में रोजगार की उनकी दशाओं का विनियमन करना है:–

- फैक्टरी अधिनियम, 1948
- बागान मजदूर अधिनियम, 1951
- पोत–परिवहन अधिनियम, 1951
- खदान अधिनियम, 1952
- मोटर परिवहन मजदूर अधिनियम, 1961

- प्रशिक्षुता अधिनियम, 1961
- बीड़ी एवं सिगार मजदूर (रोजगार की दशाएँ) अधिनियम, 1966
- बंधुआ मजदूरी प्रथा (उन्मूलन) अधिनियम, 1976
- बाल मजदूरी (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986

बाल मजदूरी (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की प्रमुख विषेशताएँ :–

अधिनियम :–

- अधिनियम को सूची के भाग क और ख के सूचीबद्ध व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में ऐसे किसी भी व्यक्ति, जिसने 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, के रोजगार को निषेध/प्रतिबंधित करता है।
- प्रतिबंधित व्यवसायों अथवा प्रक्रियाओं की सूची ने संशोधन का निर्णय करने की प्रक्रिया निर्धारित करता है।
- उन स्थानों में कार्य करने की दशाओं का विनियम करता है जिनमें बच्चों का कार्य निषिद्ध नहीं है।
- इस अधिनिमय तथा अन्य अधिनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में बच्चों के रोजगार हेतु दण्ड निर्धारित करता है।

अधिनियम की धारा 14, ऐसे व्यक्ति जो धारा 3 में उपबंधों के उल्लंघन में कार्य करने के लिए किसी भी बच्चे को नियुक्त अथवा स्वीकृति करता है, उसे 1 वर्ष तक की सज़ा (कम से कम 3 महीने) अथवा 20,000/– रुपये तक जुर्माना (कम से कम 10 हजार तक) अथवा दोनों व्यवस्था करती है।

अधिनियम द्वारा प्रतिबंधित नहीं किए गए व्यवसायों और प्रक्रियाओं में नियुक्त बच्चों को निम्नलिखित प्रावधानों द्वारा विनियमित किया जाता है :–

- बच्चे से 6 घंटो से ज्यादा समय के लिए कार्य नहीं करवाया जाए जिसमें उसका आधे घंटे का अवकाश शामिल होगा।
- किसी भी बच्चे को 7.00 बजे शाम तथा 8.00 बजे सुबह के बीच कार्य करने की स्वीकृति अथवा आवश्यकता नहीं है।
- किसी भी बच्चे को ओवर–टाइम करने की आवश्यकता अथवा स्वीकृति नहीं है।

- प्रत्येक बच्चे को साप्ताहिक अवकाश मिलेगा।

नियोक्ता की ओर से यह दायित्व है कि वह बच्चे के रोजगार के संबंध में इंस्पेक्टर को सूचना मुहैया कराए। यह नियोक्ता के लिए अनिवार्य है कि वह इस मामले में रजिस्टर का रख–रखाव करे।

सरकार ने घरेलू नौकर के रूप में अथवा ढाबों, रेस्टोरेंट, होटलों, मोटलों, चाय की दुकानों, रेजोर्ट, मनोरंजन केन्द्रों में बच्चों के रोजगार को निषिद्ध किया है। यह प्रतिबंध बाल मजदूरी (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत दिया गया है तथा 10 अक्टूबर, 2006 से लागू हुआ है। इस प्रकार इसे मिलाकर 16 व्यवसायों तथा 65 प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार को निषिद्ध किया गया है।

3. बच्चों के अधिकारों संबंधी अभिसमय–अंतरराष्ट्रीय सुरक्षोपाय

11 दिसम्बर, 1992 को बच्चों के अधिकारों संबंधी अभिसमय के लिए भारत एक पक्षकार बना था। यह अभिसमय सभी क्षेत्रों में बच्चों के अधिकारों के संरक्षण, जिसमें आर्थिक शोषण से संरक्षण शामिल है, के लिए भारत की चिंता को वास्तविकता प्रदान करता है। हस्ताक्षरकर्त्ता के रूप में भारत का दायित्व है कि वह अभिसमय के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कानून, प्रशासनिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक उपाय करे।

इसके अलावा भारत ने बाल मजदूरी से संबंधित 6 आई एल ओ (अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन) अभिसमयों की अभिपुष्टि की है, इनमें से 3 20वीं सदी के शुरूआती पहली तिमाही में किया था।

अंतराष्ट्रीय श्रम सम्मेलन ने 1979 में बाल मजदूरी संबंधी प्रस्ताव को अंगीकृत किया। प्रस्ताव में बाल मजदूरी के उन्मूलन हेतु उपायों तथा उन स्थानों पर बाल मजदूरी का मानवीकरण करने के उपाय करना जहाँ पर इसका उन्मूलन पूर्णतया नहीं किया जा सकता, समावेश है।

बाल मजदूरी संबंधी वैश्विक तकनीकी समन्वय के माध्यम से आई. एल. ओ, जो बाल मजदूरी के उन्मूलन संबंधी अंतराष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में जाना जाता है, बाल मजदूरी के उन्मूलन की प्रक्रिया तथा औद्योगिक शोषण से बच्चों के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके केन्द्र में पाँच महत्वपूर्ण विषय हैं:–

1. बाल मजदूरी निषेध
2. कार्यस्थल पर बाल मजदूरों का संरक्षण
3. बाल मजदूरी के आधारभूत कारणों पर प्रहार करना

4. भविष्य में कार्य अपनाने के लिए बच्चों की सहायता करना

5. कार्यरत् माता–पिता के बच्चों का संरक्षण

जून 1999 में आई एल ओ ने बाल मजदूरी की सबसे खराब प्रकार संबंधी अभिसमय को अंगीकृत किया। अभिसमय में बाल मजदूरों के पुनर्वास तथा सामाजिक एकीकरण जैसे विषयों पर विचार किया गया। यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड (यूनीसेफ) ने बाल मजदूरी की रोकथाम एवं उन्मूलन के महत्व को माना है। यह सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं अधिकारों की पूर्ति करने में सरकार एवं सभ्य समाज के प्रयासों में समर्थन करता है।

4. राष्ट्रीय बाल मजदूरी नीति

बाल मजदूरी के उन्मूलन हेतु निरंतर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। बाल मजदूरी कानून बनना, बाल मजदूरों के पुनर्वास तथा कार्य में बच्चों के प्रवेश की रोकथाम को अवश्य ही उन्मूलन नीति का हिस्सा होना चाहिए। विभिन्न गरीबी–रोधी तथा रोजगार उत्पन्न करने के कार्यक्रमों के माध्यम से उनके माता–पिता के आर्थिक स्तर को सुधारने के लिए अवश्य प्रयास किए जाने चाहिए।

राष्ट्रीय बाल मजदूरी नीति, 1987 में निम्नलिखित तथ्यों का समावेश है:–

- बाल मजदूरी (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 तथा अन्य संबंधित कानूनों के उपबंधों को कड़ाई से लागू करना।
- रोजगार से छुड़ाए गए बाल मजदूरों का पुनर्वास
- बाल मजदूरी के विस्तार में कमी करना
- शिक्षा के औपचारिक अथवा अनौपचारिक व्यवस्था के माध्यम से बेहतर एवं तत्काल उपलब्ध शिक्षा मुहैया कराना।
- बाल मजदूरी हेतु स्वास्थ्य स्थितियों में सुधार।
- ''समेकित बाल विकास सेवाएँ'' जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से पोषण मुहैया कराना।
- समेकित ग्रामीण विकास सेवाएँ जैसे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को तीव्र करना।
- बाल मजदूरी के अधिक सघन वाले क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना।

- कार्यरत् बच्चों की पहचान करने, उन्हें काम से छुड़वाने और उनका पुनर्वास करने हेतु परियोजनागत दृष्टिकोण अपनाना

1988 में प्रारंभ की गई राष्ट्रीय बाल मजदूरी परियोजना (एन सी एल पी) एक समयबद्ध परियोजना है जिसका उद्देश्य निम्न महत्वपूर्ण घटकों से बने मॉडल कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना है:–

- बाल मजदूरी के निषेध के प्रवर्तन को और अधिक तीव्र करना।
- बाल मजदूरों के अभिभावकों को रोजगार मुहैया कराना।
- औपचारिक और गैर–औपचारिक शिक्षा का विस्तार करना।
- वृत्तिका की अदायगी जैसे विभिन्न प्रोत्साहनों के माध्यम से स्कूल दाखिले को बढ़ावा देना।
- जनजागरूकता को बढ़ाना

एन सी एल पी के अंतर्गत शुरू की मुख्य गतिविधियों में रोजगार से हटाए बच्चों को गैर–औपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, अनुपूरक पोषण, वृत्तिका, स्वास्थ्य देखभाल, इत्यादि मुहैया कराने हेतु विशेष स्कूलों की स्थापना करना है।

सांविधानिक अधिदेश को पूरा करने के उद्देश्य से जोखिम पूर्ण व्यवसायों में कार्यरत् बच्चों को छुड़ाने और विशेष स्कूलों के माध्यम से उनका पुनर्वास करने हेतु 15 अगस्त 1994 को एक बृहत कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसके अनुवर्तन हेतु सरकार ने 26 सितम्बर, 1994 को गृह, सूचना एवं प्रसारण, विधि, स्वास्थ्य, शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग इत्यादि के प्रतिनिधियों सहित केन्द्रीय श्रम मंत्री की अध्यक्षता के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकार का गठन किया गया।

इसका उद्देश्य :–

- बाल मजदूरी के उन्मूलन हेतु नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करना;
- कार्यक्रमों, परियोजनाओं और योजनाओं की प्रगति का अनुवीक्षण करना;
- भारत सरकार के संबद्ध मंत्रालयों की बाल मजदूरी से संबंधित परियोजनाओं के कार्यान्वयन का समन्वय करना;

10वीं योजना के दौरान एन सी एल पी (राष्ट्रीय बाल मजदूरी परियोजना) योजना के अंतर्गत आने वाले जिलों की संख्या को 100 से बढ़ाकर 250 कर दिया गया है। इन दोनों योजनाओं के अंतर्गत न आने वाले जिलों के लिए सरकार बाल मजदूरों के

पुनर्वास हेतु विशेष स्कूलों को चलाने के लिए मंत्रालय की अनुदान योजना के अंतर्गत गैर–सरकारी संगठनों को सीधे निधियाँ भी प्रदान की जा रही हैं जिससे इस खतरे से निपटने के लिए सिविल समाज की बेहतर भूमिका और सहयोग मिल सके।

इंडो–यू एस डी ओ एल (इंदस परियोजना) :

चिन्हित जोखिम पूर्ण क्षेत्रों में बाल मजदूरी की रोकथाम और उन्मूलन हेतु इंदस परियोजना को श्रम मंत्रालय, भारत सरकार और श्रम विभाग, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। यह परियोजना पाँच राज्यों नामतः महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के 21 जिलों में 10 जोखिमपूर्ण क्षेत्रों में कार्यान्वित है। इस परियोजना में अनुमानतः 80,000/– बच्चों को काम से छुड़ाया जाएगा और उनका पुनर्वास किया जाएगा।

पूर्व बाल श्रमिकों के 10,000 परिवारों हेतु समर्थन गतिविधियाँ भी चलाई जाएंगी।

इस परियोजना के मुख्य घटकों में निम्न को शामिल किया गया है:–

- विस्तृत सर्वेक्षण के माध्यम से जोखिमपूर्ण व्यावसायों में कार्यरत् बच्चों की पहचान करना;
- जोखिमपूर्ण व्यवसायों से 8 से 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को निकालना और उन्हें अर्थपूर्ण संक्रमणकालीन शिक्षा मुहैया करवाना।
- किशोरों की व्यवस्थित व्यावसायिक शिक्षा/प्रशिक्षण का प्रावधान करना।
- कार्य से छुडाए गए बच्चों के परिवारों के लिए व्यवहार्य आय उत्पत्ति विकल्प उपलब्ध कराना।
- बाल श्रमिकों की जन शिक्षा को सुदृढ़ करना (शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यम से कार्यान्वित करना)
- अनुवीक्षण/ट्रैकिंग
- सामाजिक जुटाव
- राष्ट्रीय/राज्य और स्थानीय संस्थानों का क्षमता निर्माण
- अन्य राज्यों में जोखिमपूर्ण बाल मजदूरी के विरूद्ध कार्रवाई के प्रति रूचि बढ़ाना।

इंदस परियोजना के अंतर्गत आने वाले जिलों की सूची (21)

1. ***मध्य प्रदेश (5)*** :– दामोह, सागर, जबलपुर, सतना और कतनी
2. ***महाराष्ट्र (5)*** :– अमरावती, जालना, औरंगाबाद, गोंडिया और मुम्बई उपनगर
3. ***उत्तर प्रदेश (5)*** :– मुरादाबाद, इलाहाबाद, कानपुर नगर, अलीगढ़ और फिरोजपुर
4. ***तमिलनाडु (5)*** :– कांचीपुरम, तिरूवन्नामल्लाई, तिरूवल्लूर, नम्माक्काल और विरदूनगर
5. ***दिल्ली (1)*** :– राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली

(Source: http://labour.nic.in/cwl/childlabour.htm)

6. बाल मजदूरी के उन्मूलन हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी दिशा–निर्देश

उच्चतम न्यायालय ने एम सी मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य (ए आई आर 1997 एस सी 699) में इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कुछ व्यावहारिक कदम उठाए हैं जो इस प्रकार हैः–

1. कार्यरत् बच्चों की पहचान हेतु सर्वेक्षण।
2. जोखिमपूर्ण उद्योगों में कार्यरत् बच्चों को निकालना और उपयुक्त संस्थानों में उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना।
3. इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन करने वाले अपराधी नियोक्ता को प्रत्येक नियुक्त बच्चे के लिए रूपए 20,000/– की मुआवजे की राशि अदा करने के लिए अवश्य कहा जाना चाहिए। यदि वह काम पर लगाए बच्चे को काम से हटा भी देता है तो ऐसे में नियोक्ता का यह दायित्व समाप्त नहीं होता।
4. ऐसी एकत्रित राशि को बाल श्रम पुनर्वास–सह–कल्याण निधि नामक निधि में जमा किया जाना चाहिए। इस निधि को कायिक के रूप में रखा जाएगा जिसकी आय संबद्ध बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रयोग किया जाएगा। इस से ज्यादा आय प्राप्त करने हेतु इस निधि को किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या अन्य सामाजिक निकाय में जमा किया जा सकता है।
5. चूंकि इससे प्राप्त आय माता–पिता/अभिभावकों को बच्चों को रोजगार में लगाने से रोकने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, राज्य का यह दायित्व बनता है

कि वे अपने कर्त्तव्य का पालन करें। राज्य को उस परिवार के वयस्क सदस्य को रोजगार देना चाहिए जिस का बच्चा जोखिमपूर्ण उद्योग में कार्यरत था।

6. ऐसी परिस्थिति में जहाँ रोजगार देना संभव नहीं, सरकार फैक्टरी या खान या किसी अन्य जोखिमपूर्ण रोजगार में नियुक्त प्रत्येक बच्चे के लिए रुपए 5000/– की राशि बाल श्रम पुनर्वास–सह–कल्याण में अपने अंशदान के रूप में जमा कराएगी।

7. इन दोनों ही परिस्थितियों में चाहे बच्चे के परिवार के सदस्य को बच्चे के स्थान पर किसी वयस्क सदस्य को रोजगार दिया जाता है या नहीं, बच्चे को काम करने की आवश्यकता नहीं होगी।

8. ऐसी परिस्थिति में जहाँ, जैसा कि पूर्व में उल्लिखित है, कोई वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता, संबद्ध माता–पिता/अभिभावक को प्रत्येक बच्चे के रुपए 25000/– के कायिक पर अर्जित आय अदा की जाएगी। यदि माता–पिता/अभिभावक द्वारा बच्चे को शिक्षा के लिए नहीं भेजा जाता तो उन्हें प्रदत्त रोजगार या उनको अदा की जाने वाली राशि रोक दी जाएगी।

9. सरकार द्वारा घोषित राष्ट्रीय बाल मजदूरी नीति ने पहले से ही प्राथमिकता कार्रवाई हेतु कुछ उद्योगों की पहचान कर ली है।

10. एक जिला एक एकक की तरह देखा जाए ताकि जिले का कार्यकारी प्रभारी इंस्पेक्टरों के काम पर निगरानी रख सके।

11. गैर–जोखिमपूर्ण कार्यों के संबंध में इंस्पेक्टरों को यह ध्यान रखना होगा कि बच्चों के कार्य घंटे 4 से 6 घंटे प्रति दिन से ज्यादा नहीं होने चाहिए और उन्हें प्रतिदिन कम–से–कम 2 घंटे शिक्षा दी जाए। यह भी ध्यान रखा जाए कि उनकी पढ़ाई का पूरा खर्चा नियोक्ता द्वारा वहन किया जाए।

श्रम मंत्रालय माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के कार्यान्वयन का अनुवीक्षण कर रहा है।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की भूमिका

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग देश में बाल मजदूरी के उन्मूलन के विषय में अत्यंत चिंतित है। विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद, विधानों को पास करने, अंतरराष्ट्रीय अभिसमय के पक्षकार बनने, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति की घोषणा करने, राष्ट्रीय बाल मजदूरी उन्मूलन प्राधिकार के गठन करने और राष्ट्रीय बाल मजदूरी परियोजनाओं को चलाने में, बाल मजदूरी के उन्मूलन का उद्देश्य दुर्ग्राह्य लगता है।

जोखिमपूर्ण उद्योगों में कार्यरत् लगभग 20 लाख बच्चों को वर्ष 2000 तक मुक्त कराने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया गया है।

उक्त आयोग ने निम्न उद्योगों जिनमें बाल मजदूरी की व्यापक रिपोर्टें आती हैं पर अपना ध्यान केन्द्रित किया जिनमें निम्न शामिल हैः–

- चूड़ी/काँच उद्योग
- सिल्क उद्योग
- ताला उद्योग
- पत्थर खादान
- ईंट–भट्ठे
- हीरा तराश
- जहाज के टुकड़े करने
- निर्माण कार्य
- कालीन बुनाई

अपने विशेष सम्पर्ककर्त्ता, सदस्यों के दौरों, संवेदनशीलता कार्यक्रमों और कार्यशालाओं, परियोजनाओ को जारी कर, उद्योग संघों और अन्य संबद्ध अभिकरणों के साथ विचार–विमर्श, राज्य सरकारों और गैर–सरकारी संगठनों के साथ समन्वय के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि बाल मजदूरी का उन्मूलन हो सके आयोग देश में बाल श्रम की स्थिति का अनुवीक्षण कर रहा है। आयोग उत्तर प्रदेश में कालीन क्षेत्र, फिरोजाबाद में चूड़ी/शीशा उद्योग और कर्नाटक में सिल्क उद्योग का अनुवीक्षण कर रहा है।

बाल श्रम के उन्मूलन और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के बीच आपसी संबंध

शिक्षा का अधिकार विधेयक, 2009 को दोनों सदनों द्वारा 4 अगस्त, 2009 को पारित किया गया और उसे 27 अगस्त, 2009 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। इसे शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा औपचारिक रूप से सरकारी राजपत्र में दिनांक 01.04.10 को प्रभावी किया गया। इसके लागू होने से 6 से 14 वर्ष आयु

समूह के सभी बच्चों को स्कूल जाना अपेक्षित होगा और उन्हें शिक्षा की कीमत पर काम में नहीं धकेला जाएगा। राज्य का यह भारी कर्त्तव्य और दायित्व बनता है कि राज्य इसे संभव बनाए।

6 से 14 वर्ष समूह के बच्चे जन्म लेने वाले परिवेश (ओरिजनेटिव प्वांईट) एवं अपने गंतव्य स्थान (डेस्टिनेशन प्वांईट) जहाँ वे अपने माता–पिता के साथ प्रवास करते हैं दोनो स्तरों पर शिक्षा के अभाव के पीड़ित बनते हैं। ऐसा इसलिए नहीं होता कि उनमें इच्छा शक्ति की कमी है बल्कि ऐसा सामाजिक और आर्थिक बाध्यताओं के कारण होता है। अपने जन्म स्थान के परिवेश से लेकर माता–पिता की गरीबी के साथ शिक्षा संस्थानों के गैर–संचालन या कुसंचालन (अध्यापकों की अनुपस्थिति के एवं समय पर पाठ्यपुस्तकों के गैर–वितरण इत्यादि जैसे कई अन्य कारकों के कारण) उनके दाखिला न लेने, स्कूल छोड़ने, बच्चों को स्कूल से निकालने या स्कूल से निकलने के लिए मजबूर करने से होने वाले शिक्षा के वंचन के लिए जिम्मेदार है। माता–पिता के साथ जहाँ बच्चे प्रवास करते हैं ऐसे गंतव्य स्थानों पर (क) प्रवासी बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा में पढ़ाई कराने के माध्यम के स्कूलों की कमी (ख) ऐसी भाषा में पढ़ाने वाले योग्य और प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी (ग) इन बच्चों द्वारा बोले जाने वाली भाषा में पाठ्यपुस्तकों की कमी के कारण वे ऐसे वंचन के पीड़ित बनते हैं।

जन्म परिवेश एवं प्रवास स्थल पर स्कूलों तक पहुँच बनाने, उनके वहाँ पढ़ाई जारी रखने और बच्चों द्वारा न्यूनतम स्तर की उपलब्धि संभव बनाने के लिए बहुमुखी रणनीतियाँ अपनाने की जरूरत होगी। वे निम्न प्रकार हैं:–

- मौलिक कर्त्तव्य के रूप में अनुच्छेद 51–ए के अंतर्गत निहित छः से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चे को शिक्षा के अवसर मुहैया कराने की प्रतिबद्धता;
- स्कूल भवन का नक्शा तैयार करना;
- ऐसे उपयुक्त भवनों का निर्माण करना जो सौन्दर्य दृष्टि से सुखदाय हों;
- समय पर शिक्षण और अध्ययन उपकरणों का प्रापण;
- रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों के अनुरूप पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री और किताबों को अंतिम रूप देना;

- अध्यापकों के चयन, शिक्षण और प्रशिक्षण, शिक्षकों की अनुपस्थिति को रोकना;
- ऐसी अध्ययन प्रक्रिया को सिखाना कि कैसे उसी अध्ययन को आनंदमय, उत्तेजक, रूचिकर, नवीन, संगत और सार्थक बनाना;
- पाठ्य सामग्री, प्रक्रिया और शिक्षा के परिणाम का अनुवीक्षण और मूल्यांकन

चूंकि 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के बच्चों को पूर्णकालिक रूप से स्कूल में रहना पड़ता है, ऐसे में उन्हें जोखिमपूर्ण और गैर–जोखिमपूर्ण दोनों ही तरह के कामों में धकेलने की तो कोई गुंजाइश नहीं। इस अर्थ में देखें तो बाल श्रम के उन्मूलन और निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उद्देश्य एक ही है। हमारे सभी प्रयास चाहे वे केन्द्रीय और राजकीय हो या व्यक्तिगत और सामूहिक इस उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में होने चाहिए ताकि हम उनके 100% दाखिला होने, उनकी 100% भागीदारी और अपनी मात्र भाषा, गणित और भौतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञानों और पर्यावरण में न्यूनतम स्तर की प्रवीणता हासिल कर सकें।

इसी अर्थ में एक बार पुनः देखते हुए बाल मजदूरी (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम को उसके मौजूदा रूप में जारी रखने की कोई जरूरत नहीं। इसे रद्द कर इसके स्थान पर एक नया कानून बनना चाहिए जो सभी व्यावसायों और प्रक्रियाओं में बच्चों के रोजगार को सार्वभौमिक निषेध का प्रावधान करे। रोजगार के जोखिमपूर्ण एवं गैर–जोखिमपूर्ण रूपों में कृत्रिम भेद को आवश्यक रूप से समाप्त करना होगा। इस पक्ष को स्पष्ट रूप से मान्यता मिलनी चाहिए कि किसी भी रूप में बाल श्रम का उन्मूलन गैर–परकाम्य है और सिविल समाज के सभी वर्गों द्वारा इसे इस रूप में देखा जाना चाहिए। साथ ही यह भी मान्यता मिलनी चाहिए कि शिक्षा विकास की कुँजी है। यही बाल श्रम को रोकने का निश्चित एवं सबसे प्रभावशाली माध्यम है।

चूँकि बेहतर रोजगार की तलाश में बच्चे अपने प्रवासी अभिभावकों के साथ प्रवास (जन्म परिवेश से लेकर प्रवास स्थान में विकास अवसरों में भेद होने के कारण) करते रहेंगे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि ये बच्चें शिक्षा वंचन के पीड़ित न बने, सुनियोजित, समन्वयित और निरंतर प्रयास किए जाने की जरूरत है इस में से कुछ पदाक्षेप एवं प्रयास निम्न प्रकार हैंः–

- कार्यस्थल पर स्कूल प्रारंभ किए जाने चाहिए;

- अपने मूल राज्य से इन प्रवासी बच्चों द्वारा बोली जाने वाली भाषा में पाठ्यपुस्तकों को प्राप्त करना;

- मूल राज्य से इन प्रवासी स्थानों में आकर काम करने के इच्छुक कुछ अध्यापकों जो इन विद्यार्थियों को उनकी मातृ भाषा में अध्ययन कराने में स्थानीय अध्यापकों को प्रशिक्षित कर सके, को समावेश करने हेतु मूल राज्य की सरकार से सम्पर्क एवं समन्वय स्थापित करना;

- यदि ऐसा संभव नहीं हो तो इन प्रवासी बच्चों को उनकी भाषा में पढ़ाने वाले अध्यापकों को मूल राज्य से भर्ती, प्रशिक्षित और पर्याप्त प्रोत्साहन देना ताकि वे गंतव्य स्थल पर पढ़ाना जारी रखें और वहीं निवास करें;

- शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया की सामग्री, प्रक्रिया और परिणामों का अनुवीक्षण और मूल्यांकन मूल राज्य के शिक्षा विभाग की सहायता से किया जाना चाहिए;

सरकारी कर्मचारियों द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर के रूप में रखने के प्रति आयोग अत्यंत चिंतित है। आयोग ने इस मामले के संबंध में सिविल सेवा (आचरण) नियमावली में ऐसे रोजगार के निषेध पर केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार से बातचीत की। केन्द्र सरकार तथा लगभग सभी राज्यों ने संबंधित सिविल सेवा (आचरण) नियमावली में इस निमित संशोधन किया कि सरकारी कर्मचारी द्वारा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरेलू नौकर के रूप में रखना दुराचरण समझकर उस पर बृहत दंड लगाया जाएगा।

आयोग को देश के बूचड़खानों में कार्यरत् बच्चों के मानव अधिकारों के अभिकथित उल्लंघन के संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों से शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। आयोग ने इस मामले पर विचार किया और पहले तो सभी राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों को बूचड़खाने में बाल श्रम के उन्मूलन हेतु जिम्मेदार संबद्ध प्रधिकारियों को आवश्यक निदेश जारी करने और यह सुनिश्चित करने कि बाल श्रम को समाप्त किया जाए और कानूनों के उल्लंघन हेतु बूचड़खानों के मालिकों पर अभियोजन चलाया जाए तथा सभी बच्चों को वहाँ से छुड़ाया जाए और उन्हें स्कूल इत्यादि की सुविधा उपलब्ध कराई जाए तद्नुसार राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मुख्य सचिवों को दिनांक 09.04.2001 को उक्त निदेशों के संबंध में पत्र लिखा।

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग
फरीदकोट हाउस,
कॉपरनिक्स मार्ग,
नई दिल्ली–110001

सुविधा केन्द्र (मदद) : 011–23385368
मोबाइल नं: 9810298900 (शिकायत के लिए)

फैक्स : (011) : 23386521 (शिकायतें) 23384863 (प्रशासन) /
23382734 (जांच–पड़ताल)
ईमेलः covdnhrc@nic.in (General) / jrlaw@nic.in (Complaints)
वेबसाईटः www.nhrc.nic.in

अपने अधिकार जानें

मानव अधिकार एवं बाल मजदूरी